न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, टोंक

(पीठासीन अधिकारीः सी0 एल0 शर्मा, आर.ए.एस.)

प्रकरण(प्रार्थनापत्र) संख्या – 206/2017
प्रविष्टि दिनांक – 24.10.2017

उनवान

रामलाल पुत्र नारायण जाति अहीर(यादव) निवासी लक्ष्मीपुरा तहसील व जिला टोंक

–आवेदक

बनाम

तहसीलदार टोंक

विपक्षी

उपस्थित–श्री जितेनद्र कुमार जैन,
श्री पर्यूष कुमार जैन–वकील आवेदक

निर्णय

आवेदन अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट

दिनांक : 30.01.2019

संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि अधिवक्ता आवेदक द्वारा एक आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट प्रस्तुत किया जिसमे अंकितानुसार न्यायालय उपखण्ड अधिकारी टोंक द्वारा एक राजस्व वाद संख्या– 31/2000 उनवानी अब्दुल कादिर बनाम कालूराम जिसमें कन्सोलिडेट राजस्व वाद संख्या 69/2007 उनवानी कालू आदि बनाम अछबुल कादिर का दिनांक 23.03.2009 को निम्न निर्णय व डिक्री पारित की गई थी :–

" दावा वादीगण अब्दुल कादिर आदि बनाम कालू बावत भूमि खसरा नम्बर 136 रकबा 11 बीघा 14 बिस्वा वाके ग्राम लक्ष्मीपुरा तहसील टोंक से बेदखल करने सारहीन होने से खारिज किया जाता है। तथा कन्सोलिडेट वाद कालूराम आदि बनाम अब्दुल कादिर आदि स्वीकार किया जाकर वादीगण कालूराम आदि को भूमि खसरा नम्बर 136 रकबा 11 बीघा 14 बिस्वा वाके ग्राम लक्ष्मीपुरा तहसील टोंक का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में वादीगण का नाम अंकित किये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रतिवादी अब्दुल कादिर आदि का नाम हटाये जाने की स्वीकृति दी जाती है। डिक्री मुर्तब हो। पत्रावली फैसल शुमाद बाद तकमील दाख्लि दफतर हो। "

उक्त डिक्री की पालना में पटवारी हल्का द्वारा कालूराम,रामलाल,रामसहाय पि0 नारायण व मुस0 धापू बेवा नारायण कोम अहीर साकिन देह हिस्सा बराबर खातेदार अंकित किया गया, परन्तु उपरोक्त नामों को काटकर बिना किसी न्यायोचित आधार के व बिना किसी सक्षम न्यायालय की डिक्री के केवल कालूराम पुत्र नारायण कोम अहीर का नाम लिख दिया जो अवैधानिक है क्योंकि प्रकरण में अकेला कालूराम ही डिक्रीदार या वादी नही था बल्कि कालूराम,रामलाल,रामसहाय व उनकी माता धापू का नाम भी था। मुस0 धापू पत्नि नारायण की मृत्यु हो चुकी है जिसके वारिसान प्रार्थीगण है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर नामांतकरण संख्या0 255 दिनांक 02.04.2009 ग्राम लक्ष्मीपुरा तहसील व जिला टोंक में संशोधन करते हुए मुताबिक डिक्री कालूराम,रामलाल,रामसहाय पिसरान नारायण अहीर के नाम नामांतकरण स्वीकृत करने के आदेश प्रदान करें एंव राजस्व रिकार्ड में संशोधन कराया जावे।

साक्ष्य दस्तावेज के रूप मे अधिवक्ता आवेदक ने नामांतकरण संख्या–255 एंव न्यायालय हाजा की डिक्री दिनांक 23.03.2009 की प्रति प्रस्तुत किये जो शामिल पत्रावली है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी से जवाब तलब किया गया। प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत जवाब/रिपोर्ट में यह स्वीकार किया गया कि नामांतकरण संख्या–255

Scanned by CamScanner

में वादीगण के स्थान पर केवल कालूराम पुत्र नारायण का ही नाम अंकित हुआ है इसके अतिरिक्त वादीगण की अन्य भूमियों के रिकार्ड में नारायण की मृत्यु होने पर नामातंकरण वादीगण के नाम खोला गया है। वकील वादी ने स्वंय आवेदक रामलाल का शपथ पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

इसके पश्चात वादपत्र पर अधिवक्ता आवेदक की बहस सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता वादी ने वाद पत्र मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस की।

हमने वाद पत्र एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेजो का अवलोकन किया एवं विद्वान अभिभाषक आवेदक की बहस पर मनन किया। न्यायालय हाजा द्वारा डिक्री में अंकित सभी पक्षकारान के नाम अंकित किये जाने के उपरान्त भी एक ही व्यक्ति का नाम अंकित कर नामांतकरण स्वीकार किया जाकर तहसीलदार ने गंभीर भूल की है। जिसमें सुधार किया जाना उचित एंव न्यायसंगत है। अतः दस्तावेजो के आलोक मे प्रार्थनापत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 136 के तहत स्वीकार किया जाना उचित है।

आदेश

फलतः प्रार्थनापत्र प्रार्थी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 136 के तहत स्वीकार किया जाकर तहसीलदार टोंक को ग्राम लक्ष्मीपुरा तहसील व जिला टोंक स्थित भूमि आराजी खसरा नम्बर 136 रकबा 11 बीघा 14 बिस्वा में कालूराम के साथ–साथ रामलाल, रामसहाय पि. नारायण बहिस्सा बराबर का नाम अंकित किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्ती की जाकर, पालना से अवगत करावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज **दिनांक 30.01.2019** लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सी0 एल0 शर्मा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, टोंक

Scanned by CamScanner